

कार्यालय प्रभागीय निदेशक सामाजिक वानिकी प्रभाग,मैनपुरी
पत्रांक 647 /14-1 दिनांक:मैनपुरी:सितम्बर 24,2016

सेवा में,

वन संरक्षक
आगरा वृत्त आगरा ।

विषय:- 765 के0वी0 सिंगल सर्किट मैनपुरी-बारा पारेषण लाईन सर्किट-1 के निर्माण कार्य हेतु 19.474 हे0 वनभूमि के गैर वानिकी प्रयोग की अनुमति के सम्बन्ध में ।

सन्दर्भ:- मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, उ0प्र0,लखनऊ का पं0 2550/11-सी
FP/UP/Trans/15538/2015 दिनांक 26-05-2016

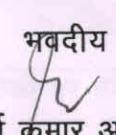
महोदय,

उपरोक्त विषयक सन्दर्भित पत्र के क्रम में मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, उ0प्र0,लखनऊ द्वारा उक्त प्रस्ताव पर जो आपत्तियों की गई है उन आपत्तियों की विन्दुवार आख्या निर्धारित प्रारूप में संलग्न कर आपकी सेवा में प्रेषित है-

Observ No	Observation	Reply
1	2	3
1	ऑन लाईन इन्ट्री के भाग-1 व भाग-2 में जनपद-औरैया एवं मैनपुरी से सम्बन्धित सूचनाएँ संलग्न नहीं की गई है। भाग-1, भाग-2 पूर्ण संलग्न करें।	प्रभाग से सम्बन्धित समस्त सूचनाये पूर्ण कर संलग्न है ।
2	ऑन लाईन इन्ट्री के भाग-1 में औरैया जनपद में प्रस्तावित वनभूमि 0.2176 अंकित की गई है परन्तु भाग-2 में 0.1024 अंकित किया गया है सही स्थिति अपलोड करें।	प्रभाग से अपेक्षित नहीं है ।
3	एफ0आर0ए0-2006 अन्तर्गत जिलाधिकारी द्वारा निर्गत प्रमाण पत्र में औरैया, मैनपुरी व कानपुर देहात में पत्रांक अंकित नहीं है।	सम्बन्धित प्रमाण पत्र पर पत्रांक अंकित कर संलग्न है ।
4	मक डिस्पोजल योजना मैनपुरी के अतिरिक्त अन्य जनपदों की संलग्न करें।	प्रभाग से अपेक्षित नहीं है ।
5	Cost Benefit Analysis निर्धारित प्रारूप में संलग्न नहीं है।	Cost Benefit Analysis निर्धारित प्रारूप में संलग्न कर प्रेषित है ।
6	समस्त जनपदों में अपलोड किये गये वृक्षों की सूची अलग से संलग्न की गई वृक्षों की सूची में समानत नहीं है स्पष्ट करें। जनपदवार पारेषण लाईन में आने वाले कुल वृक्षों की सूची, बाधक वृक्षों की सूची जिनका पातन किया जाना है अलग-अलग संलग्न करें।	प्रभाग के अन्तर्गत कुल बाधक वृक्षों की सूची एवं पातन किये जाने वाले वृक्षों की सूची अलग-अलग संलग्न है ।
7	संयुक्त निरीक्षण रिपोर्ट समस्त जनपदों की संलग्न की गई है परन्तु उक्त रिपोर्ट पर सम्बन्धित प्रभागीय वनाधिकारी के सील सहित हस्ताक्षर नहीं है।	सम्बन्धित अभिलेखों पर हस्ताक्षर कर सील लगा दी गई है ।
8	क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु इलाहाबाद द्वारा 14.84 का दुगना चयनित किया गया है जबकि इलाहाबाद में आरक्षित वनभूमि भी प्रभावित हो रही है। स्थिति स्पष्ट करें।	प्रभाग से अपेक्षित नहीं है ।

	क्योंकि आरक्षित वनभूमि के विरुद्ध प्रयोक्ता द्वारा उपलब्ध कराई जाने वाली समतुल्य भूमि 14.411 हे० पर क्षतिपूरक वृक्षारोपण किया जाना होगा। अन्य जनपदों की चयनित भूमि प्रस्ताव में एक साथ लगाया जाए।	
9	प्रयोक्ता द्वारा पृष्ठ 198 पर वचनबद्धता दी गई है वह त्रुटिपूर्ण है कृपया स्थिति स्पष्ट करें। प्रत्येक जनपद हेतु लीज पर दिये जाने की अवधि अलग-अलग वर्षों हेतु दी गई है जो त्रुटिपूर्ण है कृपया स्थिति स्पष्ट करें।	प्रभाग से अपेक्षित नहीं है।
10	समस्त अभिलेखों में प्रत्येक अभिलेख समस्त जनपदों के एक साथ लगाकर पृष्ठ संख्या कर प्रस्ताव संशोधित करें।	प्रभाग से अपेक्षित नहीं है।
11	औरैया जनपद में 0.2176 हे० संरक्षित वनभूमि प्रस्तावित हो रही है अथवा 0.1024 हे० वनभूमि स्थिति स्पष्ट करते हुए जनपद औरैया के समस्त संलग्न अभिलेखों को संशोधित करें।	प्रभाग से अपेक्षित नहीं है।
12	बौने औषधीय वृक्षारोपण का विस्तृत प्राक्कलन समस्त जनपदों का प्राक्कलन संलग्न करें।	बौने औषधीय वृक्षारोपण का विस्तृत प्राक्कलन संलग्न है।
13	दुगने अवनत वनभूमि का प्राक्कलन सिर्फ इलाहाबाद जनपद का क्षेत्रीय वनाधिकारी के हस्ताक्षर से संलग्न किया गया है। प्रभागीय निदेशक से हस्ताक्षर सील सहित कराये, इसके अतिरिक्त अन्य जनपदों के भी संलग्न प्राक्कलन में सील सहित सम्बन्धित प्रभागीय वनाधिकारी के हस्ताक्षर कराये।	सम्बन्धित अभिलेखों पर हस्ताक्षर कर सील लगा दी गई है।
14	प्रस्तावित क्षतिपूरक वृक्षारोपण के डिजिटल मैप पर (11 हे०) सम्बन्धित प्रभागीय वनाधिकारी के हस्ताक्षर नहीं है।	प्रभाग से अपेक्षित नहीं है।
15	गजट नोटिफिकेशन के समस्त संलग्नकों को प्रमाणित कराये।	सम्बन्धित अभिलेख प्रमाणित कर संलग्न है
16	समस्त अभिलेख जनपद वार लगाकर संशोधित कर समेकित प्रस्ताव प्रेषित करें।	प्रभाग से अपेक्षित नहीं है।

संलग्नक:- 03 पत्रावली

भवदीय

 (सिदार्थ कुमार अम्बेडकर)
 प्रभागीय निदेशक
 सामाजिक वानिकी प्रभाग, मैनपुरी